

आयालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
तिलकेन्द्र बनाम महेन्द्र कौरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जी इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

04.10.2024

आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो प्रार्थना पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।

अतः अप्रार्थीगण को जय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.11.2024 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 0.7100हे0 वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास पर आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत् बनाये रखें।

क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, वकील प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 05.11.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(खैरथल-तिजारा)

5/11/24

वकील प्रार्थी अ.ओ. साहब ने दावे के साथ पेश किया।
20/11/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल-तिजारा)

20/11/25 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक... 17-3-25
को पेश हो।

8-3-25

पत्रावली मूखवाद के साथ पेश की मूखवाद राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक
में लक्ष्य राजीनामा विद्वा से चुनते। अन्तर्पार्थनापत
विद्वा खारिज किया जाता है। पार्थनापत फेरल श्रम
द्वारा सत्तम मूखवाद है।

तिलक

पहल
अध्यक्ष

अध्यक्ष

राष्ट्रीय लोक अदालत
ता० वि० सं० ल० किरानगढ़वाल
अलवर (राज०)

राष्ट्रीय लोक अदालत
ता० वि० सं० ल० किरानगढ़वाल
अलवर (राज०)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
ता० वि० सं० ल० किरानगढ़वाल
अलवर (राज०)